यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/29/2018 **दिनांक :** 22.03.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

यूएफबीयू द्वारा अपनी माँगों को लेकर संसद पर धरना

कृपया हमारे पूर्व परिपत्र संख्या 2016–19/28/2018 दिनांक 21.03.2018 का संदर्भ लें जिसके माध्यम से हमने यूएफबीयू के आह्वान पर संसद पर धरने तथा यूएफबीयू की घटक यूनियनों के नेतृत्व द्वारा अपनी विभिन्न माँगों को लेकर वित्त मंत्री को दिये गए स्मरण पत्रों के विषय में अवगत कराया था तथा वेतन पुनरीक्षण के विषय में प्रस्तुत किए गए स्मरण पत्र का अनूदित सार भी आप सभी के सूचनार्थ प्रेषित किया था।

अब हम यहां **बैंकों में कर्मचारी निदेशकों तथा अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति में अनुचित विलम्ब, पंजाब नैशनल बैंक में हाल में हुई धोखाधड़ी तथा बैंकों में कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए निधि के आवंटन** के विषय पर दिए गए स्मरण पत्रों का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति

माननीय श्री अरूण जेटली
वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

प्रिय महोदय,

विषय : बैंकों में कर्मचारी और अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति में अनुचित देरी

यह 15.09.2017 को आपसे हमारे प्रतिनिधिमण्डल की भेंट तथा उपरोक्त मुद्दे पर उस दिन आपको प्रस्तुत किए गए हमारे पत्र के संदर्भ में है।

आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक की नियुक्ति प्रदान करता है। यह योजना 1972 से प्रचलन में है और इन सभी वर्षों में, कर्मचारी और अधिकारी निदेशकों को योजना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया है। यह योजना निदेशक मण्डल प्रबन्धन स्तर पर कर्मचारियों को भागीदारी प्रदान करने के लिए अधिनियम में शामिल की गई थी।

जारी पृष्ठ 2

हालांकि, हम यह देखते हुए चिंतित हैं कि पिछले तीन वर्षों से, कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक की कोई नियुक्तियां सरकार द्वारा जारी नहीं की गई हैं।

अब तक, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, इन दोनों पदों को रिक्त रखा गया है और भरा नहीं गया है। इन पदों को नहीं भरा जाना प्रतिनिधित्व को रोकना तथा भागीदारी के अधिकार से कर्मचारियों को वंचित किया जाना है।

जैसा कि इस योजना में प्रदान किया गया है, पैनल के नामों को बैंकों को उचित रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है और बदले में, बैंकों ने भी अपनी उचित अनुशंसाओं के साथ सरकार को इसे अग्रेषित कर दिया है। लेकिन, दस्तावेजों को कई महीनों तक सरकारी स्तर पर लंबित रखा जा रहा है। इसने यूनियनों और कर्मचारियों के दिमाग में गंभीर आशंकायें पैदा कर दी हैं कि सरकार जानबूझकर इन निदेशकों को नियुक्ति टाल रही है।

आपने इस मामले को देखने तथा शीघ्रता के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को सलाह देने का आश्वासन दिया था। लेकिन हम पाते हैं कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी निदेशकों तथा अधिकारी निदेशकों के पद अभी भी रिक्त हैं।

हम आपसे इस मामले को निश्चयपूर्वक और गंभीरता से देखने और बिना किसी देरी के सभी बैंकों में कर्मचारी निदेशकों और अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध करते हैं।

सधन्यवाद,

आपके विश्वासपात्र,

ह0...
के.के. नायर
चेयरमैन

ह0...
संजीव के. बन्दलीश
संयोजक

प्रति

माननीय श्री अरूण जेटली
वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदय,

विषय : पंजाब नैशनल बैंक में हाल में हुई धोखाधड़ी

आपको ज्ञात ही है कि हाल में हुई बड़े पैमाने की धोखाधड़ी से पूरा देश हिल गया है जो पंजाब नैशनल बैंक में हुई है। बड़े पैमाने पर लोग स्वाभाविक रूप से चकित और हैरान हैं जिस तरीके से बैंक पर धोखाधड़ी की गई है। इसने हमारे बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, की विश्वसनीयता के बारे में लोगों के आत्मविश्वास और भरोसे को भी प्रभावित किया है। जमाकर्ताओं को अपनी कठिनाईओं से अर्जित बचतों की सुरक्षा के बारे में चिंता हो रही है। इसलिए हमें लगता है कि इस मुद्दे को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

किसी भी प्रणाली में, दुरूपयोग या तो भीतर से या बाहर से सम्भव है और सुधारात्मक तंत्र भी उपलब्ध है। लेकिन क्योंकि इस विशाल धोखाधड़ी ने लोगों के आत्मविश्वास को खत्म कर दिया है, हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि सरकार को आवश्यक बयान और उपायों के साथ आगे आना चाहिए जो लोगों को आश्वस्त करेगा कि

जारी पृष्ठ 3

धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जायेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रणाली को उचित प्रकार से सुधारा जायेगा और कि बैंकों में उनका पैसा काफी सुरक्षित है।

इस धोखाधड़ी ने आंतरिक और बाह्य रूप से पर्यवेक्षण और नियंत्रण के संबंध में बैंकों की कमजोरियों को उजागर कर दिया है और नियामक के दृष्टिकोण से भी।

इसे पीएनबी शाखा में कुछ छोटे स्तर के कर्मचारियों द्वारा की गई कुछ धोखाधड़ी अथवा गलत कार्य के मामले के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब नैशनल बैंक के शीर्ष अधिकारियों सहित उन सभी उच्चाधिकारियों जो इस धोखाधड़ी में शामिल हैं के विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

इस प्रकरण में आरबीआई की भूमिका और जवाबदेही की अच्छी तरह से जांच की जानी है। आरबीआई गवर्नर का दावा कि इस तरह की धोखाधड़ी से निपटने के लिए उन्हें कोई प्रभावी अधिकार नहीं है, पूर्णतया अस्वीकार्य है। आरबीआई की लेखा परीक्षा और नॉस्ट्रो खाते के नियंत्रण की कमी के बारे में जांच की जानी चाहिए। आरबीआई को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा आरबीआई गवर्नर को हट जाना चाहिए। यदि नियामक इस तरह की विशाल शक्तियों और स्वायत्तता के साथ निगरानी नहीं कर सकता तथा प्रक्रिया का इतना गंभीर दुरूपयोग नहीं रोक सकता, तो आरबीआई के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है।

पीएनबी और आरबीआई के भूमिका के अलावा, विभिन्न बैंकों की भूमिका, जो इन लेन–देन का हिस्सा हैं, की ठीक से जांच की जानी चाहिए। इसी प्रकार, लेखा परीक्षकों की भूमिका का भी पूरी तरह से मूल्यांकन और आकलन किये जाने की आवश्यकता है। लेखा परीक्षा के बहुत से स्तर हैं – समवर्ती लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा, प्रणाली परीक्षा, राजस्व लेखा परीक्षा, बाह्य लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षा, विशेष लेखा परीक्षा, आरबीआई लेखा परीक्षा आदि और यदि पिछले 7 वर्षों में इनमें से कोई लेखा परीक्षा इस तरह की प्रक्रिया के उल्लंघन का पता नहीं लगा सकी, तो लेखा परीक्षा की पवित्रता स्वयं ही सवालों के घेरे में आती है।

इसके अलावा, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार स्विफ्ट तथा कोर बैंकिंग सॉल्युशन को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए और यह पीएनबी द्वारा नहीं किया गया था। उस मामले में, दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का पालन करने के लिए पीएनबी निदेशक मण्डल पर आरबीआई के नामित निदेशक की क्या भूमिका रही है।

इन सभी उपायों के अतिरिक्त, मुख्य दोषियों निरव मोदी तथा मेहुल चोकसी को तत्काल भारत लाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि इस धोखाधड़ी को करने के लिए उनके खिलाफ अत्यन्त कठोर कार्रवाई की जा सके।

चूंकि धोखाधड़ी में विशाल सार्वजनिक धन शामिल है, एक उच्च शक्तिशाली संसदीय समिति को प्रणाली में जवाबदेही तथा सुधार के सुझाव देने के लिए पूरे मामले में जांच करनी चाहिए।

हम अत्यन्त दुख तथा गम्भीर नाराजगी के साथ पीएनबी में हुई धोखाधड़ी को देखते हुए बैंकों के निजीकरण के लिए निहित स्वार्थों के विभिन्न हिस्सों से उठने वाली मांग को भी नोट करते हैं। हम आपसे सरकार की ओर से ऐसे किसी भी कदम के इंकार का स्पष्ट बयान जारी करने का आग्रह करते हैं।

सधन्यवाद,

आपके विश्वासपात्र,

ह0...
के.के. नायर
चेयरमैन

ह0...
संजीव के. बन्दलीश
संयोजक

जारी पृष्ठ 4

प्रति

माननीय श्री अरूण जेटली
वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदय,

विषय : बैंकों में कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए निधि का आवंटन

आपको ज्ञात है कि बैंकों के कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें लागू करने के लिए अपने दिशानिर्देश दिये हैं। यह योजना इन कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए बैंकों के प्रकाशित शुद्व लाभ के 3% का आवंटन प्रदान करती है।

पिछले दो वर्षों से, आरबीआई के दिशानिर्देशों के कारण, अधिकतम राशि बैंकों में अनिष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान की ओर प्रदान की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों के शुद्ध लाभ में भारी कमी आई है और कई बैंक घाटे में आ गये हैं। निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के शुद्ध लाभ में आई भारी कमी को स्पष्ट करेगी।

रू0 करोड़ में

	2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
सकल परिचालन लाभ	**127,653**	**137,760**	**136,275**	**158,982**
खराब ऋणों के लिए प्रावधान, आदि	90,633	100,901	153,967	170,370
प्रावधानों के बाद शुद्ध लाभ/हानि	**37,019**	**37,540**	**- 18,417**	**- 11,388**

31.03.2018 को बैंक के परिणामों की स्थिति कुछ भिन्न नहीं होने वाली है, बल्कि, बढ़े हुए एनपीए, एनसीएलटी को निर्दिष्ट मामलों की वजह से प्रावधानों, आदि के कारण तुलन पत्रों पर अधिक तनाव होगा।

इसलिए, हम इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन तथा सरकार से शुद्ध लाभ के बजाय बैंकों के परिचालन लाभ में से कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए निधि के आवंटन की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं।

चूंकि कई बैंकों में शुद्ध लाभ नकारात्मक हैं, इन बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए किसी भी आवंटन से वंचित किया जा रहा है। आप भी स्वीकार करेंगे कि कर्मचारियों का किये गये प्रावधानों और इसके फलस्वरूप बैंकों के शुद्ध लाभ पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, सभी निष्पक्षता में, यह उचित होगा कि कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन बैंकों के परिचालन लाभ से किया जाये।

15.09.2017 को आपसे हमारे प्रतिनिधिमण्डल की मुलाकात के दौरान, आपने हमारे सुझाव की सराहना की थी और इस मामले में बैंकों को उपयुक्त सलाह देने का आश्वासन दिया था।

हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि कृपया इस न्यायोचित प्रतिवेदन पर अनुकूल रूप से विचार करें और बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश जारी करने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करें।

सधन्यवाद,

आपके विश्वासपात्र,

ह0...
के.के. नायर
चेयरमैन

ह0...
संजीव के. बन्दलीश
संयोजक